डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 137/2014 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2014/00381
उनवानी :–

1. मेवाराम पुत्र भदई बगैराह **(विस्तृत उनवान पुष्ट पर अंकित है)**

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.06.2014 प्रकरण संख्या 268/11 उनवान मेवाराम बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर।

यह अपील .....20.....माह.....10.....सन्.....2021.....व हमारे .....श्री तालेराम एड. ..... मिनजानिब अपीलाण्ट , पैरोकार सरकार अनुपस्थित .रैस्पोडेण्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... **अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2014 यथावत रखें जाते हैं।**
(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....20.....माह.....10.....सन्.....2021.....को जारी की गई।

20.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उनवानी :–

1. मेवाराम
2. ज्ञानचन्द } पिसरान भदई
3. श्याम सिंह
4. सुखदेव
5. राजन पुत्री भदई
6. भगवानदास पुत्र गोपी उर्फ गोली
7. इतवारी पत्नी गोपी उर्फ गोली
8. सन्तो
9. मैरा } पि0 गोपी उर्फ गोली
10. सोना
11. भूरी

जाति जाटव नि0 विजयनगर बरसो तह0 व जिला भरतपुर।

..... अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 137/14 (223 आर0टी0एक्ट0)
आररीएमएस संख्या :– 2014/00381

उनवान

1. मेवाराम
2. ज्ञानचन्द — पिसरान भदई
3. श्याम सिंह
4. सुखदेव
5. राजन पुत्री भदई
6. भगवानदास पुत्र गोपी उर्फ गोली
7. इतवारी पत्नी गोपी उर्फ गोली
8. सन्तो — पि0 गोपी उर्फ गोली
9. मीरा
10. सोना
11. भूरी

जाति जाटव नि0 विजयनगर बरसो तह0 व जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.06.2014 प्रकरण संख्या 268/11 उनवान मेवाराम बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री तालेराम अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. पैरोकार सरकार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–20.10.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 27.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 8 रकवा 1.19 है0 स्थित ग्राम श्रीनगर तहसील व जिला भरतपुर के काबिज खातेदार कृषक हैं। आराजी वादीगण के पूर्वज भदई व गोपी उर्फ गोली को पट्टे पर मिली थी। संवत 2018 से भदई व गोली आराजी के अभिलिखित गैर खातेदार हैं। पट्टे के आधार पर 10 वर्ष बाद स्वतः खातेदारी मिल जाती है। परन्तु आज 50 वर्ष बाद भी वादीगण गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधि
भरतपुर (राज0)

ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2014 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दौराने बहस, बार बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद पैरोकार सरकार उपस्थिति नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित आराजी अपीलाण्ट के पूर्वज भदई व गोपी ने पट्टे पर ली थी एवं उस पट्टे के आधार पर भदई व गोपी संवत 2018 में गैर खातेदार दर्ज हुये एवं उनके स्वर्गवास बाद उनके वारिसान अपीलाण्ट विवादित आराजी पर गैर खातेदार दर्ज हुये। अपीलाण्ट के बुजुर्गो का विवादित आराजी पर करीब 52 वर्ष पुराना कब्जा काश्त है। नियमानुसार पट्टेदार को 10 वर्ष में खातेदारी अधिकार मिल जाते हैं। परन्तु आज भी राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट को बतौर गैर खातेदार दर्ज कर रखा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि पट्टे की नकल पेश नहीं की है उचित नहीं है क्योंकि उस पट्टे के आधार पर अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष पहले ही गैर खातेदार दर्ज हो चुके हैं अधीनस्थ न्यायालय को अब यह देखने की आवश्यकता नहीं थी कि गैर खातेदारी का इन्द्राज क्यों और कैसे आये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय कतई गलत किया है। जब संवत 2012 में पट्टा ही नहीं था तो विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष का गैर मौरूसी व गैर खातेदारी दर्ज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित पॉच तनकियॉ निर्धारित की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

5. <u>तनकी संख्या 01</u> – अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी वादी/अपीलाण्ट के विरूद्ध तय की है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 108, 109, 110, 111, 112, 115 गत खसरा नम्बर 52 मिन रकवा 10 बीघा से बनना प्रकट है एवं उक्त गत खसरा नम्बर 52 पर संवत 2018 में भदई व गोपी गैर खातेदार दर्ज हैं। इसके अलावा हाल खसरा नम्बर 74 व 75 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नम्बर 53 मिन से बनाये गये हैं। परन्तु वादी/अपीलाण्ट ने गत खसरा नम्बर 53 मिन बाबत् किसी भी गत जमाबन्दी को पेश नहीं किया है। जिससे यह साबित हो सके कि गत खसरा नम्बर 53 मिन पर उनके पूर्वज बतौर गैर खातेदार दर्ज रहे हो। यह सही है कि संवत 2018 में वादीगण/अपीलांट के पूर्वज गत खसरा नम्बर 52 पर बतौर गैर खातेदार दर्ज रहे हैं। परन्तु वादीगण/अपीलाण्ट ने गैर खातेदारी के स्त्रोत के दस्तावेज यथा पट्टा पेश नहीं किया है एवं ना ही संवत 2012 के जगाबन्दी ही पेश की गयी है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

वादीगण/अपीलाण्ट के पूर्वज विवादित आराजी पर खुदकाश्त/मौरूसी/गैर मौरूसी के रूप में दर्ज रहे हो। मात्र संवत 2018 की जमाबन्दी में गैर खातेदारी के अंकन से वादीगण/अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, तनकी विरूद्ध वादी/अपीलांट तय की है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

6. <u>तनकी संख्या 02 व 03</u>– तनकी संख्या 01 की विवेचना से प्रभावित होती हैं। चूंकि तनकी संख्या 01 विरूद्ध वादी/अपीलाण्ट पायी गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों तनकियों को भी उचित रूप से वादी/अपीलाण्ट के विरूद्ध तय किया है।

7. <u>तनकी संख्या 04</u>– अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी निष्कर्ष बाबत् भी हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। वादग्रस्त आराजी पैरोकार सरकार, नायब तहसीलदार, भरतपुर के जवाब अनुसार नगर निगम की सीमा में है। जिस पर खातेदारी अधिकार देने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है।

8. <u>अनुतोष</u> – समस्त तनकीयात का निस्तारण हो चुका है। वादी/अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसे हम किसी भी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2014 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर